



राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

अपील संख्या: - 16/2018

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
गोपीराम अग्रवाल आर टी आई रिसर्च सेन्टर, बांसवाडा, बांसवाड़ा, राजस्थान		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं निदेशक स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 10-04-2018

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।
2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री चन्द्र स्वरूप माथुर, सलाहकार, उपस्थित।
3. मैंने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।
4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 15-12-16 के द्वारा निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान सरकार के पत्रांक 232 दिनांक 15-6-16 से नगर परिषद, बांसवाड़ा को दिये गये निर्देशों के सम्बन्ध में तथ्यात्मक टिप्पणी जो कि निदेशालय में प्राप्त हुई हो की प्रति चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपील विनिश्चयविहीन रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।
5. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने निवेदन किया कि सूचना के आवेदन में विशिष्टियों का अभाव है। अपीलार्थी द्वारा आवेदन में स्पष्ट नहीं किया है कि पत्रांक 232 दिनांक 15-6-16 जो नगर परिषद, बांसवाड़ा को भेजा गया था, किस अनुभाग से भेजा गया है। अपीलार्थी से इस सम्बन्ध में विशिष्टियां पहले भी चाही गई थी परन्तु अपीलार्थी द्वारा विशिष्टियां उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण सूचना नहीं दी जा सकी।
6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 8-3-18 मय संलग्नक प्रस्तुत कर प्रति अपीलार्थी को भी पृष्ठांकित की है से प्रत्यर्थी के पैरा संख्या 5 में किये गये कथन की पुष्टि होती है।
7. पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख से स्पष्ट है कि अपीलार्थी के सूचना के आवेदन में विशिष्टियों का अभाव है। अतः अपीलार्थी का आवेदन सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के अनुकूल नहीं है। इस तरह के आवेदन पर

राज्य लोक सूचना अधिकारी से सूचना की अपेक्षा नहीं की जा सकती। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को पृष्ठांकित अपीलोत्तर की प्रति से अपीलार्थी को संसूचित कर दिया गया है।

8. प्रत्यर्थी द्वारा प्रेषित विनिश्चय विधिसंगत है। अभिलेखानुसार अपीलार्थी वस्तुस्थिति से संसूचित है। अपील में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण अपील का खारिज किया जाना समीचीन है।

9. अस्तु, वर्तमान अपील खारिज की जाती है।

10. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

11. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त